

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ०७ मई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में Support for Statistical Strengthening (SSS) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)XXVII (1)/2017, दिनांक 31.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) एवं आपके पत्र संख्या: 332/SSS/UC 2016-17, 17.05.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-07 लेखाशीर्षक-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना CSS-0101-भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना का कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन (100% के०स०) के अन्तर्गत मद सं०-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 1,33,33,000 (₹ एक करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-312/3(150)XXVII (1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृति के क्रम में किया जाने वाला समस्त व्यय भारत सुदृढीकरण परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र (एम०ओ०यू०) के प्राविधानानुसार एवं भारत सरकार के उक्त योजना विषयक अधुनान्त प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार किया जाये तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष यथाआवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करते हुए सुनिश्चित किया जाए।
- 3- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय एम०ओ०यू० में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से यथाप्रकिया सुनिश्चित किया जाय जिससे Time-overrun एवं Cost overrun से बचा जा सके। योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब की स्थिति में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
- 4- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 की नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।
- 5- स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
- 6- कार्यों की मासिक प्रगति प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- कार्यों पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाए।

- 8- 31 मार्च, 2018 तक धनराशि का उपयोग न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 9- व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- 10- स्वीकृत धनराशि का व्यय यथास्थिति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाय।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-07 लेखाशीर्षक-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी- 001-निदेशन तथा प्रशासन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना CSS-0101- भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना का कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन (100% के०स०) की मानक मद सं०-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं०-312/3(150)XXVII (1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के प्राविधानानुसार वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा रही है।
- 4- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-183, दिनांक 28.03.2012 के अनुसार ऑनलाइन बजट आवंटन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

प०सं०- 125 / XXVI/दो(16)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या: 125/XXVI/दो(16)/2008, दिनांक ०४ मई, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखानुदान वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति		
शीर्षक	मतदेय	भारित
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना CSS- 0101-भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना का कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन (100% के0स0)		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	13333	-
योग:- (₹एक करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र)	13333	-


(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।